

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती  
 संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/सी.पी.आई.ओ/130

दिनांक: 15/09/2022

सेवा में,

श्री अंबिका प्रसाद पटेल,  
 ग्राम - नवापारा, पो. कछार,  
 तहसील - खरसिया, जिल्हा - रायगढ (छत्तीसगढ),  
 पिन कोड - 496661, मोबाइल - 9424355030

**विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी ।**  
 महोदय,

आपका पत्र दि. 14.08.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक: 22.08.2022 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पश्चिम क्षेत्र 1-के संचारण / संधारण के अधीन आने वाली 200 के. व्ही. बुद्धिपदर - कोरबा सर्किट - 3 लाईन का टावर नं 302.राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ) 49नया मार्ग निर्माण के बाद) के मध्य मे आ गया। उक्त टावर एवं लाईन शिफ्टिंग का कार्य दिसंबर 2021 मे किया गया। उक्त शिफ्टिंग मे आवेदक निजी स्वामित्व की परिवर्तित भूमि और अन्य कृषि भूमि प्रभावित हुई। इस प्रकार आवेदनकर्ता उक्त शिफ्टिंग में प्रभावित पक्ष होने के कारण इससे संबंधित निम्न जानकारी प्रदान करने का आग्रह करता है :-

क्र.	चाही गयी जानकारी	जवाब
अ)	यह कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नवीन हाईटेंशन लाईन के निर्माण तथा चालू हाईटेंशन लाईनों के शिफ्टिंग का कार्य के दौरान उद्भूत होने वाले विवादों के अवधारण हेतु भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7ख मे माध्यस्थम के नियुक्ति का प्रावधान है। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उक्त प्रावधानानुसार माध्यस्थम की नियुक्ति जिरा नियम /विनियम/ अधिनियम /परिपत्र के आधार पर किया जाता है। तत्संबंधी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, की धारा 2003 के 164 तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 24 को अपने आदेश द्वारा पावरग्रिड को 2003 दिसंबर या उसके पास मौजूद सभी /में निहित और "टेलीग्राफ" शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है। प्राधिकरणभारतीय टेलीग्राफ अधिनियम ", के 1885 -भागIII के तहत और विद्युत अधिनियम, के तहत 2003 भी। उक्त आदेश भारत के राजपत्र असाधारण; भाग II-खंड 3-उप अनुभाग।-में प्रकाशित है।
आ)	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7ख मे माध्यस्थम के नियुक्ति कण्डिका अ) में उल्लेखित कार्य के दौरान प्रत्येक प्रकरण मे की जाती है या किसी विशिष्ट प्रकरण मे किए जाने का प्रावधान है। तत्संबंधी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	इसलिए पावरग्रिड पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, का केवल भाग 1885III लागू होता है जो धारा से 10 तक चलता है। इसलिए भारतीय टेलीग्राफ 19 धारा अधिनियम, 7 की धारा 1885 ख पावरग्रिड पर लागू नहीं होती है।

संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/सी.पी.आई.ओ/130

दिनांक: 15/09/2022

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।


अपीलीय अधिकारी का पता-

श्री. एस.रविंदर कुमार, कार्यपालक निदेशक प.क्षे.-1

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड, पोस्ट -उप्पलवाडीनागपुर - 440026

दूरध्वनीक्रमांक-0712-2641470



(पंकज दलाल)

जन सूचना अधिकारी

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर

दूरध्वनीक्रमांक 0712- 2641484

ईमेल : [pankajdalal@powergrid.in](mailto:pankajdalal@powergrid.in)